न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 49/2019

RCMS No.–2019/00071

किशन लाल मीणा पुत्र श्री बिरदा राम मीणा, निवासी वार्ड नंबर 28, गोविन्द जी की ढाणी, घाटी करोलान, खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, गोनेर रोड, जयपुर जरिये अध्यक्ष आर्दश शमशान घाट, घाटी करोलान विकास समिति गोनेर रोड जयपुर ।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. नगर निगम जरिये महापौर, पता दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
2. नगर निगम जरिये उपायुक्त, जोन सांगानेर, जयपुर राजथान।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण, उपायुक्त, जोन–10, जे.डी.ए. परिसर, जयपुर राजस्थान।
4. श्रीमती बानो पत्नी श्री ईस्माईल, पता ग्राम घाटी करोलान, खो–नागोरियान, जगतपुरा रोड, जिला जयपुर।
5. श्रीमती जाहिरा पत्नी नजीर खान, जाति मुसलमान, पता वार्ड नंबर 8, प्रिन्स स्कूल के पास, सालासर स्टेण्ड के पास, जिला सीकर, राजस्थान।
6. श्रीमती जैनब पत्नी ईमामुदीन, निवासी–मकान नंबर 914, बगरूवालो का रास्ता, चौकडी पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर। हाल– ग्राम घाटी करोलान, खो–नागोरियान, जगतपुरा रोड, जिला जयपुर।
7. जाहिद उमर पुत्र ईस्माईल खान, निवासी मकान नंबर 07, मीणो का मोहल्ला घाटी करोलान, खो–नागोरियान, जगतपुरा रोड, जिला जयपुर।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994, विरूद्व ग्राम पंचायत खोह नागोरियान, द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 06.08.1964, मिसल संख्या 41 बहक बानो पत्नी ईस्माईल खान।

निर्णय दिनांकः 14.09.2021

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खोह नागोरियान द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 4 के हक में आदेश दिनांक 06.08.1964 द्वारा पट्टा संख्या 25 आवंटित किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 12.02.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या एक एवं 2 की ओर से श्री तीर्थनारायण शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 3 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। गैर निगरानीकार संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कंवल सिंह लोढा उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 4, 5, 7 के नोटिस जरिये दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशित कराये गये। गैर निगरानीकार संख्या 4, 5, 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर के पत्रांक 1587 दिनांक 29.08.2019 द्वारा ग्राम पंचायत खो नागोरियान से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय में अनुपलब्ध होना जाहिर किया है। गैर निगरानीकार संख्या 6 द्वारा लिखित बहस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता को लिखित बहस पेश करने अथवा मौखिक बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वकील निगरानीकार द्वारा ना तो लिखित बहस पेश की गई एवं ना ही मौखिक बहस की गई है। वकील निगरानीकर्ता की बहस बन्द की गयी एवं पत्रावली आदेश में नियत की गई। दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार संख्या 6 एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 6 ने लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत खो नागोरियान द्वारा विपक्षी संख्या 4 के हक मे जारी किये गये पट्टा संख्या 25 दिनांक 06.08.1964 को आक्षेपित किया गया है तथा आक्षेप का आधार यह लिया गया है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर श्मशान बना हुआ है, जिस पर विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 का कब्जा नहीं है तथा इनके द्वारा उक्त भूमि पर प्रश्नगत पट्टे के आधार पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मीमो में कथन किया है कि ग्राम पंचायत को प्रश्नगत पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था एवं पट्टा जारी किये जाने से पूर्व नियमों की पालना नहीं की गई तथ प्रश्नगत पट्टे पर कम्प्यूटरीकृत सील लगी हुई है, जबकि वर्ष 1964 में कम्प्यूटरीकृत सील चलती नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 41 पर पारित आदेश दिनांक 06.08.1964 के अनुसरण में विपक्षी संख्या 4 को पट्टा जारी किया गया है। श्रीमती बानो ने उपरोक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 27.11.2007 विपक्षी संख्या 5 श्रीमती जाहिरा धर्मपत्नी नजीर खां को विकीत कर दिया था। श्रीमती जाहिरा ने उपरोक्त भूमि के संबंध में जरिये पंजीकृत मुख्तयारनामा आम दिनांक 11.11.2008 विपक्षी संख्या 7 को अपना मुख्तयार आम नियुक्त किया था, जिसने बहैसियत मुख्तयारआम उपरोक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 01.09.2010 विपक्षी संख्या 6 को विकय कर कब्जा संभला दिया था, तभी से विपक्षी संख्या 6 श्रीमती जैनब उक्त भूखण्ड पर काबिज चली आ रही है। निगरानीकार द्वारा आक्षेपित किये गये पट्टा संख्या 25 की भूमि की मूल आवंटी बानो ने इसे जरिये पंजीकृत विकय पत्र विकय कर दिया था जो आगे पंजीकृत विकय विलेख से अंतरित होती हुई वर्तमान में विपक्षी संख्या 6 के स्वामित्व व आधिपत्य में है तथा उपरोक्त पंजीकृत विकय पत्रों को निरस्त किये जाने की अधिकारिता केवल व केवल दीवानी न्यायालय के पास मौजूद है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष के एक मामले मनोहरलाल बनाम जिला कलक्टर बाडमेर डीबी स्पेशल अपील नंबर 1958/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013 में भी इसी आशय का सिद्धान्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्रतिपादित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से अन्तरित कर दिये जाने के पश्चात इसे अपास्त किये जाने की अधिकारिता पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किये जाते समय नहीं रहती है। निगरानीकर्ता द्वारा माननीय सिविल न्यायधीश कम 26 सांगानेर जयपुर के समक्ष स्थाई एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था जिसे माननीय सिविल न्यायालय ने दिनांक 05.01.2019 को खारिज कर दिया गया। निगरानीकार द्वारा एक फर्जी पट्टा स्वयं ने बनाकर इसके आधार पर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है तथा हस्तगत निगरानी याचिका के आधार पर पुलिस थाना खो नागोरियान में पंजीबद्व कराई गई एफआईआर संख्या 405/2013 में बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या 6 के आधिपत्य के प्रश्नगत पट्टे का जैन्यून माना है तथा निगरानीकार द्वारा पेश पट्टे को गलत पाया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं तथ्यहीने होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत खो नागोरियान का रिकॉर्ड नगर निगम जोन सांगानेर के पास उपलब्ध नहीं है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमो में अंकित किया है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 का कभी कब्जा नहीं रहा एवं निगरानीकार समिति का कब्जा रहा है। निगरानीकार द्वारा आदर्श श्मशान घाट करोलान विकास समिति के रजिस्ट्रेशन एवं समिति के ना तो कोई पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये एवं ना ही निगरानी मीमो के साथ ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार/आदर्श शमशान घाट, घाटी करोलान विकास समिति गोनेर रोड जयपुर का विचाराधीन पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा रहा है। निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ पेश पट्टे की छायाप्रति एवं गैर निगरानीकार संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वारा प्रमाणित निगरानीधीन पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे की छायाप्रति एवं गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति में भिन्नता है। गैर निगरानीकार संख्या 6 द्वारा निगरानीधीन पट्टे की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

माननीय सिविल न्यायालय से प्रमाणित छायाप्रति पेश की गयी जबकि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी कैं साथ निगरानीधीन पट्टे की छायाप्रति पेश की जो प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति विश्वसनीय है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे पर सरपंच एवं नक्शा नवीस व सचिव ग्राम पंचायत खोह नागोरियान के हस्ताक्षर है तथा पट्टे की चारो सीमाएं अंकित है एवं पंचगण के हस्ताक्षर भी अंकित है। माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) कम–4 जयपुर में निगरानीधीन पट्टे की भूमि के संबंध में विचाराधीन दीवानी मूल वाद संख्या 229/2015 मय प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी श्रीमती जैनब बनाम नगर निगम व अन्य लम्बित है जिसमें निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. माननीय सिविल न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा "निगरानीकर्ता किशनलाल मीणा वाद में हितबद्व व्यक्ति" नहीं होने से खारिज किया गया है। SHO थाना खोह नागोरियान एफ.आर. संख्या 319/2015 की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 में विवादित भूखण्ड मुताबिक साक्ष्यो के विपक्षी संख्या 4 को ग्राम पंचायत खो नागोरियान द्वारा पट्टा संख्या 25 दिनांक 03.08.1964 को आवंटित किया जाना स्वीकार किया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमो में अंकित तथ्यो की पुष्टि के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए है एवं निगरानीकर्ता न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में हितबद्व व्यक्ति प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति. कलेक्टर–प्रथम,
जयपुर